

मध्यप्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग.

====

संक्रमांक 18-1/2009/2/बचन
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16.4.2010

11 श्री प्रमोद मेहता,
अवर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग ।

12 डा० राजन कटोच,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग, भोपाल ।

13 श्रीमति अलका उपाध्याय,
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।

20/5/10 चिकित्सा
24/4

372
26-4-10

विषय:- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत ।

संदर्भ:- इस विभाग का संसदसदस्यक ज्ञापन दिनांक 17 दिसम्बर 2009

====

उपरोक्त संदर्भित आदेश जिसके द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर कराये गये उपचार संबंधी प्रस्तावों का निराकरण करने हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग को आधकृत किया गया था स्तद्वद्वारा निरस्त किया जाता है तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के उपचार संबंधी प्रकरणों का निराकरण पूर्वत चिकित्सा शिक्षा की गठित कार्योत्तर समिति द्वारा ही किया जावेगा ।

संज्ञक जली

अ. सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.

संक्रमांक 18-1/2009/2/बचन

भोपाल, दिनांक

प्रति:- 11 पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

12 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, तलपुड़ा भवन, भोपाल

13 संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित ।

Alccf
23104
20/4/10

2251
24-4-10

अ. सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.